

FROM No.-III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

पिता रायमल जाट
ईनाणी खेडा

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
हुरड़ा

मुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा - 88, 188 रा.टी.ए.

प्रकरण संख्या- 41/2018

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18	<p>बाद जॉच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ । जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मिसल दिनांक 24.04.2018 को पेश करें।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा</p> <p>24.4.18 पत्रावली पेश हुई। वकील फरिक्ते उपाध्याय। आज P.O. सा. से पत्रावली ले जाकर पेश करे। दिनांक 24.04.18 को पेश करें।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा</p> <p>पराजना को आज लोक अदालत में पेश करे। पर पेश हो वकील उपाध्याय ने अपना उपाध्याय के खिलाफ उपाध्याय के बहस सुने जाने पर अपना बहस सुने से उपाध्याय की बहस सुनी गये। मिसल बहस पर मजबूत बिक्रम, पछावाला पर उपस्थित दखलानेवाला का बहस सुने गये।</p>	

हेतुकार किंवा जात लें ।
 विरहण विरहण एवम्
 मिश्रणा वया, जो आश्रित
 एवम् एवम् एवम् एवम्
 किंवा हेतुकार दारिद्र्य
 दारिद्र्य हेतुकार विरहण
 हेतुकार हेतुकार हेतुकार
 हेतुकार हेतुकार हेतुकार
 हेतुकार हेतुकार हेतुकार



सहायक कलेक्टर
 (S. D. O.) गुलाबपुरा
 जिला-भीलवाडा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official